



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128603

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-12301 वर्ष 2026

हर्ष आर्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: मौर्य आजाद विजय शंकर, प्रेम शंकर कुशवाहा

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र थाना-फुगाना, जनपद-मुजफ्फरनगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-18 वर्ष 2026, धारा 318(4), 336, 338, 61(2), बी.एन.एस. तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-सी एवं 66-डी के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया कि सह-अभियुक्त अक्षय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-14579 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 18.06.2026 के आदेश द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 18.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्रकरण के समस्त तथ्यों, आरोपों की प्रकृति तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि वर्तमान प्रकरण जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त है। फलतः वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदक-**हर्ष आर्य**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप गठन तथा (3) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का अधियाचन प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी केवल वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के प्रयोजन तक सीमित रहेगी तथा इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर न्यायालय की राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए, स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 22 जून, 2026

जी.एस.एस.

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।